

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

भारत को मिली बड़ी कूटनीतिक सफलता : मोस्ट वांटेड खालसा आतंकी परमिंदर सिंह पिंडी अबू धाबी से प्रत्यर्पित

Publisher

Published on 27 Sep 2025



केंद्र सरकार और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए आज एक बड़ी सफलता का दिन है। भारत ने मोस्ट वांटेड **बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI)** के आतंकवादी **परमिंदर सिंह पिंडी** को अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) से प्रत्यर्पित कराया है। परमिंदर सिंह पिंडी को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने लंबे समय से तलाशा जा रहा था। वह BKI का प्रमुख सदस्य माना जाता है और कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। उसका प्रत्यर्पण भारत के लिए एक **महत्वपूर्ण कूटनीतिक और सुरक्षा उपलब्धि** मानी जा रही है।

BKI और पिंडी का कनेक्शन

बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) भारत में सक्रिय **सिख आतंकवादी संगठन** है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और यह संगठन पंजाब में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है।

परमिंदर सिंह पिंडी इस संगठन का मोस्ट वांटेड सदस्य था। भारत में उसके खिलाफ कई **आतंकवादी हमले और आपराधिक गतिविधियों** के मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से न केवल भारत की सुरक्षा एजेंसियों को राहत मिली है, बल्कि यह आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ सख्त संदेश भी है।

प्रत्यर्पण कैसे हुआ ?

परमिंदर सिंह पिंडी की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण में भारत और UAE के बीच **सघन कूटनीतिक वार्ता और सहयोग** की भूमिका रही। Interpol और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी इस प्रक्रिया में अहम योगदान दिया।

सूत्रों के अनुसार, भारत की केंद्रीय एजेंसियों ने पिंडी की **स्थिति और गतिविधियों पर लंबे समय तक निगरानी** रखी। UAE

सरकार के सहयोग से उसे हिरासत में लेकर भारत को सौंपा गया ।

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया

- पिंडी को अबू धाबी में UAE पुलिस ने हिरासत में लिया ।
- भारत के अधिकारियों ने उसके प्रत्यर्पण के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी की ।
- प्रत्यर्पण के बाद वह भारत के **विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल** के तहत सीधे सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में लाया गया ।

यह प्रक्रिया कई महीनों की कूटनीतिक वार्ता और कानूनी मंजूरी के बाद संभव हो सकी ।

सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया

केंद्रीय जांच एजेंसियों और **सुरक्षा मंत्रालय** ने इस सफलता पर संतोष व्यक्त किया । उन्होंने बताया कि पिंडी के प्रत्यर्पण से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बल मिला है और BKI जैसे आतंकी संगठन की गतिविधियों पर **कड़ा नियंत्रण** रखा जा सकेगा ।

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा:

“**यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है।** हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कानूनों और प्रोटोकॉलों का पूर्णतः पालन किया जाए, ताकि हमारे नागरिकों की सुरक्षा का पूर्णतः ध्यान रखा जा सके। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कानूनों और प्रोटोकॉलों का पूर्णतः पालन किया जाए, ताकि हमारे नागरिकों की सुरक्षा का पूर्णतः ध्यान रखा जा सके।”

आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

आज के समय में आतंकवाद केवल राष्ट्रीय समस्या नहीं रह गया है । अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना ऐसे मामलों में सफलता पाना मुश्किल है । भारत ने अपने **विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों** की मदद से UAE और अन्य देशों के साथ मजबूत सहयोग स्थापित किया है ।

परमिंदर सिंह पिंडी के प्रत्यर्पण ने यह साबित किया कि भारत की **कूटनीति और सुरक्षा रणनीति** दोनों ही मजबूत हैं । अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करके भारत आतंकवादियों को उनके सुरक्षित ठिकानों से भी पकड़ सकता है ।

पिंडी के खिलाफ मामला

परमिंदर सिंह पिंडी पर भारत में दर्ज आरोपों में शामिल हैं । विभिन्न आतंकी घटनाओं में भागीदारी, हत्या और हिंसा के लिए प्रेरित करना, आपराधिक संगठन के सदस्य के रूप में गतिविधियां ।

इसके अलावा, वह BKI के **वैश्विक नेटवर्क** का हिस्सा भी रहा है, जो कई देशों में हथियारों और आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है ।

इस प्रत्यर्पण का महत्व

यह भारत की **सुरक्षा एजेंसियों की कार्यकुशलता** को दिखाता है । आतंकवादियों और उनके नेटवर्क को यह संदेश देता है कि भारत किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से पीछे नहीं हटेगा । BKI और अन्य आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी ।

परमिंदर सिंह पिंडी का UAE से भारत प्रत्यर्पण केवल एक **कानूनी कार्रवाई** नहीं है, बल्कि यह भारत की **राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक सफलता** का प्रतीक भी है ।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.